

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 45/2020

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
उनवान

श्री चारभुजा जी सीनदेह जरिये पुजारी गोपालदास पुत्र बालूदास वैष्णव निवासी पालसा

1. चान्दमल पुत्र बालू सुवालका निवासी भैरूखेडा पालसा, तह0 शाहपुरा
2. रामप्रसाद पुत्र नारायण जाट निवासी पालसा, तह0 शाहपुरा
3. उदा पिता लालू बैरवा निवासी पालसा, तह0 शाहपुरा
4. मदन पिता श्रवण प्रजापत निवासी भैरूखेडा पालसा, तह0 शाहपुरा

बनाम

- प्रार्थी

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थी

- विपक्षीगण

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम पालसा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 61/405 रकबा 0.10, 62 रकबा 0.66, 66 रकबा 0.41, 63 रकबा 0.03 68 रकबा 0.19 कुल किता 5 रकबा 1.39 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

दिनांक- 19/10/2020

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम पालसा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पालसा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 5 रकबा 1.39 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
महायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)